राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –2062/2008/जयपुर

मैसर्स मार्क इन्फोसिस्टम,
105, त्रिमूर्ति लुहाड़िया टॉवर, सी–स्कीम,
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
संभाग–द्वितीय,जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित ::
श्री मोती कोटवानी,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.06.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा उक्त **अपील,** उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स–द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **29.09.2008** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 269/अपील्स–II/आर.एस.टी./जयपुर/बी/2007–08** के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की **धारा 29, 58, 61 व 65** के तहत् निर्धारण वर्ष **2005–06** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **02.01.2008** के जरिये कायम की गयी अंतर कर राशि में से **₹1,00,601/– अनुवर्ती ब्याज ₹15,594/–, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति ₹2,01,202/–** व अनंतिम निर्धारण आदेश में कायम की गयी मांग राशि के पेटे कम राशि जमा करवाये जाने के कारण, अधिनियम की धारा **58** के तहत् निर्धारित ब्याज **₹8,346/–** की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक **18.12.2006** को किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संधारित दस्तावेजों व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जारी किये गये विक्रय बिलों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स **(Multi**

लगातार.....2

functional printers) मॉडल नं0–आईआर 2016, आईआर 1510, आईआर 1210, आईआर 1600) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से घोषित किया गया है जबकि उक्त विक्रय की गयी वस्तु फोटो कॉपीयर्स मशीन की श्रेणी में है, जिस पर अधिनियम की धारा 4 के तहत् जारी अधिसूचना क्रमंक प.12(20) वित्त/कर/2005–174 दिनांक 24.03.2005 के इन्द्राज संख्या 105 के आलोक में, 9 प्रतिशत की दर से कर दायित्व है अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि में घोषित मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) की बिक्री ₹20,12,022/– को फोटो कॉपीयर मशीन की बिक्री मानकर, 5 प्रतिशत की दर से अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर 9 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित करने के कारण, अधिनियम की धारा 65 के तहत् देय कर की दोगुना शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक ने उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त, (विधि), वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के द्वारा मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर के प्रकरण में अधिनियम की धारा 36 के तहत् पारित अभिनिर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2006 के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) के घोषित विक्रय को 9 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, इस संबंध में घोषित आवर्त पर अंतर कर 5 प्रतिशत की दर से तथा अधिनियम की धारा 58 के तहत् अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 65 के तहत् कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, अनंतिम (Provisional) निर्धारण आदेश दिनांक 08.01.2007 को पारित किया गया। उक्त पारित अनंतिम निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को शामिल कर, अनंतिम निर्धारण आदेश में कायम अंतर कर के पेटे कम कर जमा करवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् निर्धारित ब्याज ₹8,346/– की मांग राशि कायम कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का नियमित निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29, 58 व 65 के तहत् दिनांक 02.01.2008 को पारित किया गया। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, (विधि), वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर के प्रकरण में अधिनियम की धारा 36 के तहत् पारित अभिनिर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2006 व इसकी पुष्टि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2007 29 सैल्स टैक्स टुडे 06 के प्रकाश में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया विक्रय, जो मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) का घोषित किया गया था, को फोटो कॉपीयर मशीन का विक्रय होना अवधारित कर, घोषित विक्रय पर 9 प्रतिशत की दर से

लगातार.....3

करारोपण ही उचित माना जैसाकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(20) वित्त/कर/2005—174 दिनांक 24.03.2005 के इन्द्राज संख्या 105 पर "फोटो कॉपीयर" के विक्रय पर 9 प्रतिशत की दर से कर दायित्व अधिसूचित है। इस प्रकार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति की कायम की गयी मांग राशियों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, अपीलीय आदेश दिनांक 29.09.2008 को चुनौती दी गयी हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी अंतर कर राशि ₹1,00,601/— में से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अंतर कर मांग राशि ₹31,740/— को एडमिट किये जाने के कारण, कर बोर्ड के समक्ष अंतर कर राशि ₹68,861/— को ही विवादित किया गया है

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक एवम् अनुचित है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी, जो राज्य में एक पंजीकृत व्यवहारी है, के द्वारा आलोच्य अवधियों में मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) ही विक्रय किये गये हैं तथा जो अधिनियम की धारा—4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005—174 दिनांक 24.03.2005 की प्रविष्टि संख्या—61 की श्रेणी में होने के कारण उक्त पर अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत ही है । तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार ही आलोच्य अवधि में अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत से कर संग्रहण किया जाकर, नियमानुसार समय—समय संग्रहीत कर को जमा कराया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि जहां तक प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्रीत वस्तु मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को फोटो कॉपीयर मशीन मानकर, 5 प्रतिशत की दर से अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित करने का प्रश्न है, उक्त जानबूझकर पूर्वाग्रस्त होकर अपीलार्थी व्यवहारी के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचाने के मद्देनज़र किया गया है जैसाकि "**All types of computers, computer printers, CVT,UPS,Set Top Boxes and computer software including parts and accessories therof.**" शब्दावली को ना तो अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में उक्त शब्दावली का विस्तृत निर्वचन पारित निर्धारण आदेशों में ही किया गया है । अग्रिम तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है, में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है तथा

लगातार.....4

इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 2(i) के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया गया कि कम्प्यूटर के कार्यों में डाटा का इन्द्राज कर, इन्हें एनकोडिंग कर, इस संबंध में निर्देश प्राप्त करना, डाटा को प्रोसेस करना एवम् डिकोडिंग तथा डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर, नतीजे प्राप्त करना शामिल है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया कि "डिकोडेड डाटा से परिणाम प्राप्त करने के लिये सबसे सामान्य आऊटपुट डिवाईस प्रिन्टर है" । जिसके द्वारा कागज पर नतीजे प्रदान किये जाते हैं । मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) मूलतः नेटवर्क प्रिन्टिंग के काम आते है। इस संबंध में मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को डिजीटल फोटो कॉपीयर मशीन से भिन्न होने का तर्क दिया गया तथा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) के फीचर्स की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया गया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) में इमेजिंग सिस्टम होता है जिसमें इनबिल्ट प्रिन्टर कार्ड होता है जिसकी प्रिन्टिंग की रफ्तार 12 से 16 पेज प्रति मिनट होती है तथा उक्त में स्टेण्डर्ड मेमोरी 192 मेगाबॉयट होती है एवम् इसकी प्रौद्योगिकी (technology) लेजर है। कथन किया कि इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विन्डोज 98/एस 8/2000/एक्सपी/सर्वर 2003/32 बिट होता है तथा प्रोसेसिंग क्षमता 100 से 1200 मेगा हर्टज (MHZ) तक होती है । पुनः कथन किया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) में विशेष रूप से तैयार किया गया इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो कम्प्यूटर मशीन में कनेक्टिीविटी के लिये होता है । कॉपिंग के लिये स्कैनिंग का उपयोग किया जाकर, मूल दस्तावेज की स्कैनिंग की जाती है तथा स्कैन्ड इमेज की प्रिन्टिंग के लिये प्रिन्टर का उपयोग किया जाता है यानी मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर में प्रिन्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल कॉपीयर की तरह भी किया जाता है । अग्रिम तर्क दिया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर मूलतः लेजर प्रिन्टर है जिसका उपयोग नेट वर्क प्रिन्टिंग के लिये किया जाता है। केवल आपातकालीन स्थिति में, इसका उपयोग फोटो कॉपीयर के रूप में किया जाता है । कथन किया गया कि खरीददार कभी भी फोटो कॉपीयर के लिये मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) खरीद नहीं करता । अपने कथन के समर्थन में कतिपय खरीदारों के शपथ पत्र भी पेश करना प्रकट किया जाकर, कथन किया गया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) से डिजीटल कॉपिंग का कार्य एक सहायक कार्य है । अग्रिम कथन किया कि किसी भी मशीन के विभिन्न रूपों में प्रयोग में लेने की दशा में, इसकी मशीनरी के पुर्जों का प्रमुख कार्य (dominant function) एवम् उद्देश्य (object) क्या है? यह देखा जाना आवश्यक है । इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स जीरोक्स इण्डिया लि. बनाम् कमिश्नर कस्टम्स, मुम्बई सिविल अपील संख्या 1583/2003 के प्रकरण में

लगातार.....5

निर्णय दिनांक 22.11.2010, 2010 (260) ई.एल.टी. 161 = (2011) 03 आरजीएसटीआर—डी—030 में मल्टी फंक्शनल मशीन्स (Multi functional machines) के संबंध में विवादाधीन मॉडल नं0 5799 के लगभग 85 प्रतिशत पार्ट्स व कम्पोनेन्ट्स तथा इसकी वि—निर्माण लागत प्रिन्टिग के संबंध में होने तथा मॉडल नं0 XD155df के 74 प्रतिशत पार्ट्स व कम्पोनेन्ट्स प्रिन्टिंग संबंधी कार्य हेतु होने के आलोक में, विवादाधीन मल्टी फंक्शनल मशीन्स को कम्प्यूटर की इन्पुट व आऊट पुट डिवाईस अवधारित कर, इन मशीनों को कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 8471.60 में होना अवधारित किया है । इसी प्रकार माननीय पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने भी रीको इण्डिया लि. व अन्य बनाम् एसीएसटी, पब्लिक रिलेशन ऑफीसर व अन्य (2008) 14 वीएसटी 491 के मामले में समान बिन्दुओं पर यह विधि प्रतिपादित की है कि यदि मल्टी फंक्शन कॉपीयर का प्रिन्टर कम्प्यूटर से कन्क्टेबल है तो ऐसी दशा में मल्टी फंक्शनल मशीन का प्रमुख कार्य प्रिन्टिंग है। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया न्यायिक दृष्टांत जो क्रमशः मैसर्स रीको इण्डिया लि. बनाम् आयुक्त, (2012) 52 वीएसटी49 व केनन इण्डिया प्रा.लि. बनाम् वैल्यू एडेड टैक्स ऑफीसर व अन्य, (2012) 52वीएसटी 65 में माननीय न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित की है कि मल्टी फंक्शनल मशीन्स के मामले में प्रत्येक मशीन के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर बनाम् अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर 29 एस.टी.टी. 06 व मैसर्स ह्यूलेट पैकर्ड इण्डिया सैल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर 25 टैक्स अपडेट 04 में प्रतिपादित विधि, मल्टी फंक्शनल मशीन के प्रमुख कार्य (principle/dominant function) व इनमें प्रयुक्त पुर्जों की वि—निर्माण लागत के संबंध में किसी प्रकार के निष्कर्ष अवधारित किये जाने के अभाव में, हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा, माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रोद्धरित विनिश्चयन् मैसर्स जीरोक्स इण्डिया प्रा.लि., 2010 (260) ई.एल.टी. 61 = 2011 03 आर.बी.एस.टी.आर. डी—030 व माननीय देहली उच्च न्यायालय के द्वारा मैसर्स रीको इण्डिया लि., बनाम् कमिश्नर (2012) 52 वी.एस.टी. 49 तथा मैसर्स केनन इण्डिया प्रा.लि., बनाम् वैल्यू एडेड टैक्स ऑफीसर व अन्य (2012) 52 वी.एस.टी. 65 (देहली) व माननीय पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने भी रीको इण्डिया लि. व अन्य बनाम् एसीएसटी, पब्लिक रिलेशन ऑफीसर व अन्य (2008) 14 वीएसटी 491 में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में एवम् माननीय कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में उपर्युक्त वर्णित प्रतिपादित विधि के बिन्दुओं पर विचार होने के अभाव में, हस्तगत प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को फोटो

लगातार.....6

कॉपीयर मशीन अवधारित कर, इस संबंध में आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः उक्त बिन्दुओं पर कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, इस संबंध में **मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers)** में प्रयुक्त पार्ट्स का प्रमुख कार्य (**dominant function**) का विश्लेषण कर, इसमें प्रयुक्त पार्ट्स व कम्पोनेन्ट्स की वि—निर्माण लागत के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय देहली उच्च न्यायालय व पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा **कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की गयी है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है तथा** चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु, उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के प्रकाश में, विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधिसम्मत नहीं होना माना गया है अतः इस संबंध में अधिनियम की धारा 65 के तहत् जानबूझकर, कर अपवंचन करने के अपराध होना अवधारित कर, शास्ति का आरोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जैसाकि इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण हैः—

(i) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)**

(ii) **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)**

(iii) **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस. टी.सी. 238 (राज.)**

(iv) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन. टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)**

लगातार.....7

(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)

(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के. आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xii)मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन–तृतीय, जयपुर अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

6. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को भी अपास्त कर, इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की तीनों अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1779 से 1783/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 10.09.2013 को प्रोद्धरित कर, प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....8

तथा इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठों (खण्डपीठों) द्वारा 29 एस.टी.टी. 06 व 25 टैक्स अपडेट 04** में प्रतिपादित विधि के आलोक में, हस्तगत अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व इस संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1779 से 1783/2012/जयपुर मैसर्स इनग्राम माईक्रो इण्डिया लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 10.09.2013 का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि समान बिन्दुओं पर समन्यवय पीठ द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 10.09.2013 के हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर विस्तृत निष्कर्ष अवधारित कर, निर्णय पारित कर, विवादित बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है । चूंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवम् विवादित बिन्दु पूर्णतः आच्छादित हैं अतः कर बोर्ड के उक्त पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 से पूर्णतः सहमत होते हुये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा **अंतर कर ₹1,00,601/– व अनुवर्ती ब्याज ₹15,594/– व ब्याज राशि ₹8,346/– के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवम् अधिनियम की धारा 65 के तहत् प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।**

9. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

10. निर्णय सुनाया गया ।

23-6-14

(अमर सिंह)
सदस्य

23.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य